कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 281 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 17 मार्च, 2016

सेवा में,

श्री अनूप नोटियाल,
69, बसंत विहार,
फेस 1, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 04 मार्च, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित सूचना संलग्न प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04–सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

4th March, 2016

To,
Public Information Officer,
Uttarakhand State Election Commission,
Dehradun, Uttarakhand

(Dear ~~Madam~~ Sir,)

4th March 2016

Subject : Information Under RTI Act 2005 for Uttarakhand MLA Non Declaration of Income

I, Anoop Nautiyal, the applicant had sent the following email through my email id anoop.nautiyal@gmail.com to the Hon'ble Election Commissioner Dr. Nasim Zaidi and CEO Uttaranchal. The details of the sent email are as follows:

→ E Mail Title: Election Commission / ~~निर्वाचन~~ आयोग से अपील - उत्तराखण्ड (Uttarakhand) के 60 नेताओं की ~~निरस्त~~ हो ~~विधायकी~~

→ E Mail Date: Feb 15, 2016 (Feb 15, 2016)

→ E Mail Sent To: Smt. Radha Raturi

→ E Mail Sent At E Mail Address: ceo_uttaranchal@eci.gov.in

I am enclosing the copy of the above email along with this RTI Application.

Please provide me the latest status as on the date of reply on the above email. This information is being sought under RTI Act 2005

श्री सेम्वाल
कृ. शीघ्र
11/3/16
S.O/PIO

I am enclosing Indian Postal Order # 33F838553 along with the RTI Application.

Thanking You

(ANautiyal)

ANOOP NAUTIYAL

69, VASANT VIHAR,

PHASE ONE,

DEHRADUN 248006,

UTTARAKHAND.

Gmail by Google

Anoop Nautiyal <anoop.nautiyal@gmail.com>

Election Commission/ निर्वाचन आयोग से अपील - निरस्त हो उत्तराखण्ड के 60 नेताओं की विधायकी --

1 message

Anoop Nautiyal <anoop.nautiyal@gmail.com> Sat, Mar 5, 2016 at 11:25 AM
To: Anoop Nautiyal <anoop.nautiyal@gmail.com>

---------- Forwarded message ----------
From: **Anoop Nautiyal** <anoop.nautiyal@gmail.com>
Date: 2016-02-15 6:50 GMT+05:30
Subject: Election Commission/ निर्वाचन आयोग से अपील - निरस्त हो उत्तराखण्ड के 60 नेताओं की विधायकी
To: nasimzaidi@eci.gov.in, ceo_uttaranchal@eci.gov.in
Cc: Governor Uttarakhand <he-ua@nic.in>, cm-ua <cm-ua@nic.in>, secy-cm-ua@nic.in, Anoop Nautiyal <anoop.nautiyal@gmail.com>

Election Commission/ निर्वाचन आयोग से अपील - निरस्त हो उत्तराखण्ड के 60 नेताओं की विधायकी

उत्तराखण्ड विधानसभा में 70 में से 60 विधायकों (मुख्यमंत्री/मंत्रियों/विधायकों) द्वारा संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध न करवाये जाने पर हो कार्यवाही। बीते 4 सालों में जनता द्वारा चुने गए 70 विधायकों में से 44 ने अभी तक एक बार भी नहीं दिया अपनी सम्पत्ति का ब्योरा। 16 अन्य ने नहीं दी है वित्तीय वर्ष 2014 - 2015 मे कोई जानकारी। इन सब पर हो त्वरित कार्यवाही और निरस्त हो इनकी विधायकी।

To: Dr. Nasim Zaidi, Chief Election Commissioner, Election Commission India
To: Smt. Radha Raturi, Chief Electoral Officer, Government of Uttarakhand

Cc: Shri KK Paul, Hon'ble Governor, Uttarakhand
Cc: Shri Harish Rawat, Hon'ble Chief Minister, Government of Uttarakhand

आदरणीय महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड के जागरूक मतदाता होने के नाते हम आपकी जानकारी में अपने प्रदेश में Election Commission / निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के घोर उल्लंघन से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करना चाहते हैं । उत्तराखण्ड के जनप्रतिनिधि निर्वाचन आयोग के नियमों की पूरी तरह से खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। उत्तराखण्ड के कुल 70 विधायकों में से 60 विधायकों ने अपनी सम्पत्ति का ब्योरा अभी तक नहीं दिया है।

उत्तराखण्ड में उत्तरप्रदेश की तर्ज पर लागू Ministers and Legislators (Publication of Assets & Liabilities) Act 1975 के अनुसार विधायकों को निर्वाचित होने के तीन माह के भीतर अपनी सम्पत्ति और आय का विवरण विधानसभा सचिव को देना जरूरी है। इसके साथ नियम के अनुसार 30 जून तक हर साल 31 मार्च तक का वार्षिक सम्पत्ति विवरण देना होता है। उत्तराखण्ड में इसके विपरीत निर्वाचन आयोग के नियमों की अनदेखी के घोर अवहेलना से जुड़े तीन अति महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं।

1. उत्तराखण्ड में जनवरी, 2012 में पिछला विधान सभा चुनाव हुआ था। बीते 4 सालों में प्रदेश के जनता द्वारा चुने गए **70 विधायकों में से 44 विधायकों (6 मंत्री शामिल) ने अभी तक एक बार भी अपनी सम्पत्ति का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया है।**

2. RTI के तहत सार्वजनिक हुई एक जानकारी के अनुसार **वित्तीय वर्ष 2014-15 में 44 विधायकों के अलावा 16 अन्य विधायकों और मंत्रियों ने भी अभी तक सम्पत्ति का ब्योरा नहीं दिया है।** इनमे प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत सहित पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा और नेता विपक्ष श्री अजय भट्ट भी शामिल हैं।

3. दुर्भाग्यवश उत्तराखण्ड मे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है । घोर जनआक्रोश के बावजूद प्रदेश मे पिछले 27 महीने से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है । उत्तराखंड मे इसके अलावा मुख्य सुचना आयुक्त का पद भी पिछले 12 महीने से खाली पड़ा है । सोची समझी रणनीति के तहत कमजोर और पंगु बनाई गयी व्यवस्था के कारण प्रदेश के निर्वाचित नेताओं को किसी भी प्रकार का संवैधानिक भय नहीं रह गया है।

प्रदेश की साफ-सुथरी छवि को शर्मशार करने वाले उपरोक्त विषय पर हमारी आपसे निम्नलिखित तीन अनुरोध और मांगे हैं।

1. उत्तराखण्ड में निर्वाचन आयोग अपने स्तर से उपरोक्त तथ्यों की जांच करवाएं।

2. यदि हमारे द्वारा आपके संज्ञान में लाए गए तथ्य सही पाए जाते हैं तो 60 दोषी विधायकों जिनमें प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री शामिल हैं को 31 मार्च, 2016 तक का समय देकर नियमों का पालन करवाया जाए।

3. **31 मार्च, 2016 तक यदि दोषी जनप्रतिनिधि नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी विधायकी निरस्त करने के साथ भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाए।**

अंत मे हमारा आपसे अनुरोध है कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के आपके अभियान को सफल बनाने के लिए आप चुनावों से जुड़े इस बेहद महत्वपूर्ण मामले का संज्ञान लेकर शीघ्र कार्यवाही अमल में लाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी यह पहल देश के चुनावी इतिहास के पन्नों में एक मिसाल के रूप में दर्ज होगी।

भवदीय
अनूप नौटियाल
आम आदमी पार्टी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 282/XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 17 मार्च, 2016

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषयः– सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक Nilesh Ekka, Association for Democratic Reforms, Table No.-5 T-95A, CL House, First Floor, Near Gulmohar Commercial Complex, Gautam Nagar, New Delhi-110049 के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र संख्या ADRO5/EW-Aff-U.K.-Exp/0203016/Sal दिनांक 02 मार्च, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 282 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– Nilesh Ekka, Association for Democratic Reforms, Table No.-5 T-95A, CL House, First Floor, Near Gulmohar Commercial Complex, Gautam Nagar, New Delhi-110049 को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

Date **02.3.2016**
Letter No: **ADR05/ EW-Aff-U.K.-EXP/0203016/Sal**

To,
Public Information Officer
O/o Chief Electoral Officer,
Govt. of Uttarakhand, 4 Subhash Road,
North Block, Secretariat Dehradun,
Uttarakahnd – 248001

Dear Sir,
Sub: Application for information under section 6(1) of the Right information Act. 2005

We request you to provide us the following information.

Whether properly scanned & legible copies of complete election expenditure declarations (Abstract statement) winner and Candidate of all constituencies of Uttarakhand Assembly election 2012 are uploaded online on CEO's website or on some other website? If yes, please provide URL of the website(s) where all these declarations are uploaded?

I request you to kindly provide me the information related to the Expenditure affidavits submitted by the following Candidate(s) of Uttarakhand Assembly Election 2012. The copies of complete Election Expenditure Affidavit of the below mentioned Winner & Candidates of Uttarakhand Assembly Election 2012 are not legible scanned properly on the CEO's & ECI website.

S.No.	Name	District	Constituency	Affidavit Issues On CEO's Site
1	Yashpal Arya	Udhamsingh Nagar	Bazpur (Sc)	Abstract page not available on CEO's site
2	Surendra Rakesh	Haridwar	Bhagwanpur (Sc)	Abstract page not available on CEO's site
3	Adesh Chauhan	Haridwar	Bhel Ranipur	Abstract page not available on CEO's site
4	Harbans Kapoor	Dehradun	Dehradun Cantonment	Abstract page not available on CEO's site
5	Dinesh Agarwal	Dehradun	Dharampur	Abstract page not available on CEO's site
6	Arvind Pandey	Udhamsingh Nagar	Gadarpur	Abstract page not available on CEO's site
7	Vijay Pal Singh Sajwan	Uttarkashi	Gangotri	Abstract page not available on CEO's site
8	Madan Kaushik	Haridwar	Haridwar	Abstract page not available on CEO's site
9	Yatishwaranand	Haridwar	Haridwar Rural	Abstract page not available on CEO's site

Yours sincerely,

Nilesh Ekka

Nilesh Ekka
Association for Democratic Reforms,
Table No.5, T-95A, CL House, First Floor,
Near Gulmohar Commercial Complex
Gautam Nagar, New Delhi-110049,
Phone No. 011-41654200, Fax No. 011-46094248